म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च, 2019

कमांक / डी–17 / 16 / 2018 / 14–3

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश ।

विषयः– जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत अपील प्रस्तुत किए जाने की प्रकिया संबंधी ।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2019

----

(1) जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत लाभान्वित किसानों की ऋण माफी की कार्यवाही प्रदेश भर में सम्पन्न की जा रही है । प्रकिया में सूचियों का प्रदर्शन, हरे / सफेद / गुलाबी आवेदन पत्रों की प्राप्ति, आवेदन पत्रों का डाटा पंचिंग कार्य, बैंक शाखाओं में पंचिग किए गए डाटा का सत्यापन, बैंक शाखाओं में प्रोवीजनल क्लेम, कलेक्टर लॉग–इन से कलेक्टर द्वारा अंतिम क्लेम, ऋण खातों की आधार सीडिंग तथा सत्यापन आदि योजना में पारदर्शी प्रावधानों की व्यवस्था की गई । जिला स्तर पर स्वीकृत समस्त जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रकरणों की सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित / चस्पा किए जाने के निर्देश हैं ।

(2) जय किसान फसल ऋण माफी योजना में निम्न स्थितियों में अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति **(परिशिष्ट–1–अ अनुसार)** के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेंगीः–

(i) अपीलार्थी का नाम तथा ऋणखाते को कर्ज माफी के लिए प्रक्रिया में नहीं लिया गया जबकि योजना प्रावधान अनुसार पात्रता बनती हो।

(ii) अपीलार्थी को योजनान्तर्गत राशि योजना प्रावधान अनुसार पात्रता से कम स्वीकृत की गई हो।

(iii) योजना में स्वीकृति की प्रकिया में बैंकों की आपत्ति के कारण ऋण माफी की कार्यवाही स्थगित अथवा निरस्त कर दी गई हो।

(iv) योजना में अपीलार्थी के एक से अधिक ऋण खाते होने की स्थिति में स्वीकृति के समय योजना प्रावधानों में नियत प्राथमिकता कम के विपरीत ऋण खाते में ऋणमाफी की स्वीकृति हो गई हो।

(v) बैंक शाखा द्वारा NPA / कालातीत ऋण के योजना में लाभान्वित ऋण खाते पर "ऋण–मुक्ति प्रमाणपत्र" (नो–ड्यूज सर्टीफिकेट) बैंक शाखा में ऋणग्रस्तता की स्थिति शेष नहीं बचने पर भी जारी नहीं किया गया हो।

(vi) बैंक शाखा द्वारा ऋण खाताधारी की मृत्यु पर वारिसान (legal heir) नियत किए जाने में प्रकियात्मक त्रुटि की जा रही हो।

(vii) योजना में लाभान्वित किसान के ऋण खाते में RTGS/NEFT से प्रदाय राशि स्वीकृत हुए प्रकरण में नहीं पहुँची हो।

(viii) योजना में स्वीकृत प्रकरणों में RTGS/NEFT से प्रदाय राशि गलत बैंक खाते में जमा हो गई हो।

..............2 /

(ix) योजनान्तर्गत ऋण प्रकरण पर ऋण माफी निरस्त किए जाने में त्रुटि हुई हो।

(3) अपीलार्थी को अपील सादे कागज पर टंकित कराकर उस अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में जमा करानी होगी जिस अनुविभाग की बैंक शाखा का जय किसान फसल ऋण माफी योजना में ऋण माफी के प्रकरण का सम्बन्ध हो।

(4) अपीलार्थी को आवेदन पत्र के साथ कृषि भूमि के अभिलेख (खसरा एवं ऋण पुस्तिका) की प्रति, बैंक शाखा के फसल ऋण की स्वीकृति के अभिलेखों की प्रति, जय किसान फसल ऋण माफी योजना में भरे गए हरे/सफेद/गुलाबी आवेदन पत्र के रसीद की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई अपील पर संबंधित बैंक शाखा से तथ्यात्मक टीप प्राप्त करने उपरान्त तथा पोर्टल पर MP-ONLINE द्वारा पृथक से प्रदत्त लॉग–इन से पोर्टल पर प्रकरण के सम्बन्ध में उपलब्ध समस्त तथ्यों का परीशीलन, परीक्षण एवं विश्लेषण कर लिखित आदेश से अपील का निराकरण अपील प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के अन्दर किया जावेगा।

(6) अपील में अनुविभाग स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत समस्त ऐसे प्रकरणों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जावेगा जिसमें वित्तीय व्यय वेष्ठित हो। कलेक्टर समस्त ऐसे प्रकरणों में वित्तीय व्यवस्था कर पोर्टल पर कलेक्टर लॉग–इन से इन्ट्री सुनिश्चित कराऐंगे तथा ऐसे प्रकरणों को जिला स्तरीय कियान्वयन समिति में अवगत होने हेतु प्रस्तुत करेंगें।

(7) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के अपील में पारित आदेश से व्यथित होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऐसे आदेश के जारी होने के एक माह की अवधि में कलेक्टर कार्यालय में अपील की जा सकेगी। ऐसी प्राप्त अपील पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति **(परिशिष्ट–1–ब अनुसार)** द्वारा योजना प्रावधान अनुसार तीन माह में विधि अनुरूप आदेश पारित कर निराकरण किया जावेगा। द्वितीय अपील में पारित निर्णय भी जिला स्तरीय कियान्वयन समिति के अवगत होने हेतु प्रस्तुत किए जावेंगें।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल, दिनांक मार्च, 2019

पृ0 कमांक/डी–17/16/2018/14–3

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, कार्यालय, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन,सहकारिता विभाग ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन,राजस्व विभाग ।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग ।
6. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
8. अपर मुख्यि सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल ।
9. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ।

10. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग,भोपाल ।
11. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
12. श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
13. प्रमुख सचिव वित्त सह आयुक्त, संस्थागत वित्त संचालनालय, भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
15. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल ।
16. आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली !
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल।
18. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल।
19. आयुक्त, संस्थागत वित्त म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
20. मुख्य कार्यकारी अधिकारी – मेप आई.टी. (MAP- IT) भोपाल।
21. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, म.प्र., भोपाल
22. आयुक्त, भू–अभिलेख, ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
23. आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी समितियॉ, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
24. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल ।
25. राज्य सूचना अधिकारी (SIO) NIC भोपाल ।
26. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
27. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, म.प्र. भोपाल।
28. राज्य समन्वयक, (एस.एल.बी.सी.) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भोपाल।
29 संभागायुक्त (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
30. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत– समस्त, को पालनार्थ ।
31. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय को पालनार्थ।
32 समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय को पालनार्थ।
33 समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।
34 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

~~प्रमुख सचिव~~ 17/3/16
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

कमांक	परिशिष्ट–1 (अ)
	<u>अनुविभाग स्तरीय अपील समिति</u>
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष
2	अनुविभागीय अधिकारी (किसान कल्याण तथा कृषि विकास)
3	सहकारिता विभाग का कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी

क्रमांक	परिशिष्ट–1 (ब)
	<u>जिला स्तरीय अपील समिति</u>
1	जिला कलेक्टर अध्यक्ष
2	उपसंचालक (किसान कल्याण तथा कृषि विकास)
3	उपपंजीयक / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ
4	लीड बैंक मैनेजर